कोर्ट फी 20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
FIVE RUPEES INDIA Rs.5
FIVE RUPEES INDIA Rs.5

(27)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- /२०१८- निगरानी
निगरानी-6336/2018/भिण्ड/भू.रा.

कमलेश सिंह पुत्र मेघसिंह, निवासी ग्राम विलाव मजरा, पादवन का पुरा, तेहसील-व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

प्रस्तु० कर्ता अभिभाषक श्री ... 16-11-18
5-12-18
16-11-18

विरुध्द

१- शीतलादेवी वेवा परिमाल सिंह यादव, निवासी- ग्राम विलाव तेहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

२- भूपेन्द्र सिंह नावालिग पुत्र परिमाल सिंह व सरपरस्त मां शीतलादेवी ।
निवासीगण ग्राम- विलाव मजरा यादवन का पुरा, तेहसील व जिला-भिन्ड-म०प्र० ।

------प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना दिनांक १७-०६-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २७१।१५-१६-अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थनापत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपीलीय न्यायालयों ने अपने कर्तव्यों को समुचित निर्वहन नहीं किया है ।

क्रमशः---२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 6336/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
6.12.18	आवेदक अधिवक्ता को दिनांक 20.11.18 का सुनकर भूलवश निगरानी ग्राह्य कर अनावेदक को सूचना एवं अभिलेख की मांग की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 271/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.9.18 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 16.11.18 को प्रस्तुत की गई है। 2–म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। सदस्य	